प्ररूप सं. 3ग

[नियम 6च(3) *देखिए*]

दैनिक मामलों के रजिस्टर का प्ररूप

[*चिकित्सा की किसी भी पद्धति के व्यवसायियों, अर्थात् चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी, वैद्य, हकीम, आदि द्वारा रखा जाए*]

तारीख	*क्रम सं.*	*रोगी का नाम*	*दी गई वृत्तिक सेवाओं की प्रकृति, अर्थात् साधारण परामर्श, शल्य क्रिया, इंजेक्शन, दौरा, आदि*	*प्राप्त की गई फीस*	*प्राप्ति की तारीख*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*